राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–476) अलेसे–I/ 3366–3375 दिनांकः– 02/04/2024

आदेश

श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं. 4546) कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर एवं अतिरिक्त प्रभार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा गिरफ्तार किये जाने एवं इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 202/2021 दिनांक 19.06.2021 दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रंमाक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/21/1562–67 दिंनाक 19.06.2021 द्वारा इस निदेशालय को सूचना प्राप्त होने के परिणामस्वरूप इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 467 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को गिरफ्तारी दिनांक 18.06.2021 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषाधिकारी, पाली किया गया था।

उपर्युक्त निलम्बन आदेश के विरूद्व श्री शाहजी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2201/2024 दायर की गई, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2024 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

"The disciplinary authority is directed to decide the representation to be made by the petitioner in light of the judgment in the case of Manvendra Singh (Supra). The needful may be done by the respondents with in a period of four weeks from the date a copy of order instant is placed by the petitioner."

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उपर्युक्त आदेश के क्रम श्री बसंत कुमार शाहजी का अभ्यावेदन दिनांक 16.02.2024 इस निदेशालय में दिनांक 20.02.2024 को जरिये ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में इस निदेशालय द्वारा उपर्युक्त अभ्यावेदन का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता हैः–

यह कि श्री बसंत कुमार शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यालय उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर द्वारा कथित भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार किये जाने एवं इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 202/2021 दिनांक 19.06.2021 दर्ज किये जाने के परिणामस्वरूप इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 467 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री शाहजी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को गिरफ्तार करने की दिनांक 18.06.2021 से निलम्बित किया गया है तथा प्रकरण में कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रकरण अनुसंधान अधिकारी से विचार–विमर्श किये जाने के पश्चात् श्री शाहजी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में रिश्वत राशि मांग करने एवं ब्यूरो द्वारा उन्हे रंगे हाथों पकड़ने के कारण, श्री शाहजी के द्वारा किये गये इस कृत्य को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु अभियोजन योग्य मानते हुये इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 919 दिनांक 02.11.2021 द्वारा श्री शाहजी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त श्री शाहजी के उपर्युक्त कृत्य जहां एक ओर, एक राज्य कर्मी के द्वारा किये जाने वाले उपयुक्त सदाचरण के विरूद्ध है, वही उनके इस आचरण से विभाग के साथ–साथ राज्य सरकार की छवि खराब होने के परिणामस्वरूप इस निदेशालय द्वारा श्री शाहजी को राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के उल्लंघन किये जाने का आरोपी मानते हुये इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 में कार्यवाही हेतु ज्ञापन क्रमांक 1457–59 दिनांक 13.02.2024 भी जारी किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(5) मे निम्न वर्णित है:– *"इस नियम के अधीन जारी किया गया निलम्बन का आदेश, किसी भी समय, उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गये प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, निरस्त किया जा सकेगा, जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।'*

उपर्युक्त नियम के परिपेक्ष्य में श्री शाहजी के अभ्यावेदन पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया गया। जिन प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके है, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी जो कि शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के स्तर पर वित्त विभाग के अधीन विभागों के लोक सेवकों को निलम्बन से बहाली हेतु गठित की गयी है, की दिनांक 10.01.2024 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रखा गया है, परंतु प्रकरणों की गम्भीरता एवं गुणावगुण पर विचार कर समिति द्वारा श्री शाहजी, को निलम्बन से बहाली पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया है। अतः श्री शाहजी का प्रकरण ए.सी.बी. में रजिस्टर्ड होने, रिश्वत राशि 30,000/–बतौर रिश्वत की मांग कर प्राप्त करने का आपराधिक कृत्य न्यायालय में होने, श्री शाहजी द्वारा एक राज्य कर्मी से अपेक्षित उपयुक्त सदाचरण न करने एवं श्री शाहजी के उपरोक्त कृत्य से राज्य सरकार एवं विभागीय छवि खराब होने से इनके विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित होने तथा लगाये गये आरोपों का जवाब भी अब तक प्रस्तुत नहीं किये जाने आदि कारणों से, श्री शाहजी को निलम्बन से बहाल किया जाना लोकहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के क्रम में श्री बसंत कुमार शाहजी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–476) अलेसे–I/3366 – 3375 दिनांकः– 02/04/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौर।
5. उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जालौर।
6. कोषाधिकारी, पाली।
7. उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
9. श्री बसंत कुमार शाहजी, (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यालय कोषालय, पाली।
10. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)